न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–04/2022–23

प्रथम पक्षः–प्रवेज मल्लिक, ग्राम–ईचाक कला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः– शिवकुमार प्रसाद एवं अन्य, ग्राम–ईचाक कला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी प्रवेज मल्लिक, पिता–अनवर मल्लिक, साकिन–ईचाक कला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरिया के विविध वाद संख्या–01/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद में विपक्षी शिवकुमार प्रसाद एवं अन्य हैं। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
ईचाक कला	**75**	85	**1.80 एकड़**	**0.36 एकड़**

अपीलार्थी के अपील आवेदन की प्रविष्टि की गई तथा उभय पक्षों से लिखित कथन की मांग किया गया और अपने–अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजात भी दाखिल करने का निर्देश नोटिस के माध्यम से दिया गया। अपीलकर्त्ता ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि वाद से संबंधित भूमि खतियान में रमजान मल्लिक के नाम से दर्ज है। यह भूमि खेंवट नं0–04 के अन्तर्गत आता है, जिनके खेंवटदार मो0 सबिरन थे। मो0 सबिरन के नाम से खतियान में यह बकास्त लगान पाने वाला कहकर भी दर्ज है, जो भूतपूर्व जमींदार थी। मो0 सबिरन रमजान मल्लिक की माँ थी। रमजान मल्लिक के दो भाई थे। वालिसान मल्लिक एवं मोहम्मद हनीफ। अपीलकर्त्ता ने खतियानी रैयत का वंशावली दर्शाकर यह कहा है कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी भूमि है, जिसपर पूर्व से खतियानी रैयत के वैध वारिशानों का दखल–कब्जा रहा है, परन्तु विपक्षी शिवकुमार प्रसाद ने अंचल अधिकारी, सिमरिया के न्यायालय से मिस केश नं0–01/2022 प्रारम्भ कराकर एक भ्रामक आदेश अपने पक्ष में करा लिया है, जो पूर्णतः गलत है। अंचल अधिकारी के गलत आदेश के विरूद्ध हीं यह अपील वाद लाया गया है।

P.99/2023
P.100/2023
CC issued

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने कारण–पृच्छा दाखिल कर इस न्यायालय को बताया है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत हनिफ मल्लिक, रमजान मल्लिक एवं वालिसान मल्लिक है तथा प्रथम पक्षकार उनके हीं वारिशान हैं। यह कि खतियानी रैयत के द्वारा प्रश्नगत भूमि का सरकारी मालगुजारी नहीं देने के कारण प्रश्नगत भूमि नीलाम हो गया था, जिसका इजराय वाद संख्या–82/1939–40 है। तत्कालीन जमींदार बाबू टिंकु वल्द चमन लाल, साकिन–चतरा परगना, जिला–हजारीबाग बनाम जगतपाल वैध, पिता–तोखन वैध, ग्राम–भगवनिया, थाना–चतरा के बीच जब विवाद चला तब जगतपाल वैध के पक्ष में निर्णय प्राप्त हुआ। डिक्री में कुल 6.83 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ तथा जगतपाल वैध के भाई खगैस वैध के द्वारा द्वितीय पक्षकार के पूर्वज चुरामन साव, पिता–गेन्दा साव को यह भूमि निबंधित केवाला से प्राप्त हुआ, जिसका केवाला संख्या–453, दिनांक–29.11.1934 है।

द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से आगे यह भी कहा है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत हनिफ मियां की पत्नी बीबी बरातुन निशा द्वारा द्वितीय पक्ष के वारिशान दिनेश्वर साहु से निबंधित केवाला संख्या–167, दिनांक–05.02.1951 को खरीदा गया। यदि वे खतियान के आधार पर दावा करते तो उन्हें केवाला लेने की क्या जरूरत थी। यह कि पुनः खतियानी रैयत हनिफ मियां के पुत्र अयुब हुसैन व सयुब हुसैन के द्वारा द्वितीय पक्ष के वारिशान दिनेश्वर साहु से निबंधित केवाला संख्या–3176, दिनांक–03.07.1972 से दूसरा केवाला से भी भूमि खरीदा गया। इन्होंने आगे यह भी कहा है कि पुनः जब द्वितीय पक्षकार के वारिशान सुखनन्दन साहु के द्वारा तीसरा बार भूमि बिक्री शरीफ मियां बनाम मो0 नेसार आलम को किया गया, तो उसमें पहचानकर्त्ता प्रथम पक्षकार प्रवेज मल्लिक हीं हैं, जिसका निबंधित केवाला संख्या–1720, दिनांक–25.02.2021 है। द्वितीय पक्षकार के अनुसार उक्त 6.82 एकड़ भूमि में लगभग सभी भूमि बिक्री हो चुकी है। मात्र 0.36 एकड़ भूमि अवशेष है, जिस पर मकान एवं चाहरदीवारी बना हुआ है। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्षकार गलत दावा करते हैं। अतः द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रथम पक्ष के दावा को खारिज करने हेतु आग्रह किया गया है।

इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा विविध वाद संख्या–01/2022 में दिनांक–16.12.2022 को पारित किए गये आदेश का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से स्थलीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया। प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में उन्होंने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्षकार की खरीदगी भूमि है तथा निबंधित केवाला से खरीदी गई इस भूमि पर द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–76/2 पर कायम है। यह जमाबन्दी द्वितीय पक्ष के चाचा चुरामन साहु के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि रैयती खाते का मानकर इनके द्वारा अपीलार्थी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किए गये लिखित कथन एवं संलग्न किये गए राजस्व कागजात तथा अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा विविध वाद संख्या–01/2022 में पारित किये गए आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का मामला रैयती खाते से संबंधित है। अपीलकर्त्ता के द्वारा जहाँ खतियानी रैयत के वारिशान के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है, वहीं द्वितीय पक्ष यह दावा करते हैं कि खतियानी भूमि से 6.83 एकड़ भूमि खाता नं0–75 के अन्तर्गत उनके पूर्वज को निबंधित केवाला संख्या–453, दिनांक–29.11.1934 से प्राप्त था। द्वितीय पक्ष यह भी दावा करते हैं कि कुल–6.83 एकड़ भूमि में अभी भी 0.36 एकड भूमि अवशेष बचा हुआ है, जिसकी खरीद–बिक्री नहीं हुई है। अपीलार्थी के कथनानुसार द्वितीय पक्षकार के पूर्वजगण हीं समस्त भू–खण्ड बिक्री कर चुके हैं, लेकिन पंजी–2 में बिक्री किये गए भूमि का रकवा नहीं घटने के कारण द्वितीय पक्ष अपीलार्थी के खतियानी भूमि पर हीं दावा कर रहें हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि मौजा–ईचाक कला के अन्तर्गत खाता नं0–75, 74 का कुल रकबा–12.82 1/4 एकड़ है तथा इसके खतियानी रैयत रमजान मल्लिक है, जिसके नाम से पंजी–2 में जमाबन्दी भी कायम है। द्वितीय पक्ष यदि केवाला के आधार पर दावेदारी करते हैं, तो वह 6.83 एकड़ भूमि पर हीं अपनी दावेदारी कर सकते हैं। यदि बिक्री भूमि पंजी–2 में नहीं घटाया गया है, तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्षकार की खतियानी भूमि पर दावेदारी नहीं कर सकते हैं। अंचल अधिकारी को आदेश पारित करने के वक्त इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अपीलार्थी ने किन तथ्यों के आधार पर उसके न्यायालय में यह मामला लाया

है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी ने बारीकी से इसपर गौर नहीं किया और विविध वाद संख्या–01/2022 के अन्तर्गत एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। यहीं नहीं इस आदेश के अन्तर्गत अंचल अधिकारी ने विपक्षी के दावा को स्वीकृत तथा अपीलार्थी के दावा को अस्वीकृत किया जाता है, शब्दो का उल्लेख अपने पारित आदेश में किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी के स्तर से प्रथम पक्षकार की खतियानी भूमि पर भी द्वितीय पक्ष के पक्ष में टाईटल डिसाईड कर दिया गया है। अंचल अधिकारी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा सभी तथ्यों पर वगैर गौर किये इस प्रकार का आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए विविध वाद संख्या–01/2022 के अन्तर्गत अंचल अधिकारी, सिमरिया के स्तर से पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर इसे **निरस्त** किया जाता है। जहाँ तक अपीलार्थी की खतियानी भूमि पर (अर्थात् 6.83 एकड भूमि से अत्यधिक तथा निबंधित केवाला के विपरित) हक–हकियत को लेकर द्वितीय पक्ष की दावेदारी का प्रश्न है, तो इसके लिए वह सक्षम न्यायालय की शरण में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

18/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

18/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

P-99/2023
P-100/2023
cc SS

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:38:05 +05:30
Location: 192.168.209.12